आम आदमी का अब रात को भी तिरंगा फहराने का रास्ता खुला

- **माननीय बिलासपुर उच्च न्यायालय ने दिया नवीन जिन्दल की जिंदल पॉवर लि. (जे.पी.एल.) कंपनी के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला और साथ ही खोला आम आदमी के लिए रात को तिरंगा फहराने का रास्ता**

- **उच्च न्यायालय बिलासपुर ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सी.जे.एम.) रायगढ के 'रात को झंडा न उतारना कानून का उल्लंघन' करने के आदेश को किया खारिज**

- **नवीन जिंदल को मिली शानदार जीत- बिलासपुर उच्च न्यायालय ने नवीन जिन्दल की कंपनी के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफ.आई.आर. को भी किया खारिज**

- **स्वतंत्रता दिवस से पहले नवीन जिंदल ने आम आदमी को रात को भी तिरंगा फहराने की स्वतंत्रता दिलाकर दी एक नई सौगात**

कैथल, 10 अगस्त : *छत्तीसगढ़ राज्य के तमनार स्थित नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल पावर लिमिटेड में रात को तिरंगा नहीं उतरने के बहुचर्चित मामले में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि रात को तिरंगा नहीं उतारा जाना प्रिवेंशन ऑफ इंस्ल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट-1971 की किसी भी धारा का उल्लंघन नहीं है। गौरतलब है कि जिंदल पॉवर लिमिटेड (जे.पी.एल.) सांसद नवीन जिंदल के नेतृत्व वाली जिंदल स्टील एंड पॉवर की अनुशंगी कंपनी है। इस ऐतिहासिक फैसले द्वारा उच्च न्यायालय ने आम आदमी के लिए रात को भी तिरंगा फहराने का रास्ता खोल दिया है। उल्लेखनीय बात यह है कि आगामी स्वतंत्रता दिवस से पहले यह स्वतंत्रता देकर माननीय उच्च न्यायालय ने भारतीयों को नई सौगात देते हुए उनमें देशभक्ति की भावना की नई स्फूर्ति का संचार किया है।*

याचिका पर 9 अगस्त 2010 को माननीय बिलासपुर उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि एक आम आदमी को सिर्फ इसीलिए दंडित नहीं किया जा सकता कि उसने सूर्यास्त के बाद तिरंगे झंडे को नीचे नहीं उतारा, अगर उसने तिरंगे के प्रति कोई अनादर प्रदर्शित न किया हो। रात को तिरंगा नहीं उतारा जाना प्रिवेंशन ऑफ इंस्ल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का उल्लंघन नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में प्रतिवादियों द्वारा जिंदल प्रबंधन तथा नवीन जिंदल की कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चीफ ज्यूडिशीयल मैजिस्ट्रेट, रायगढ़ के 4 मार्च, 2008 के आदेश को भी खारिज कर दिया।

ायगढ़ निवासी संतोष मिश्रा ने 18 अक्तूबर 2006 को पुलिस थाना तमनार में यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल पावर लिमिटेड के परिसर के प्रशासनिक भवन के समीप शाम को सूर्यास्त होने के बाद भी राष्ट्रीय ध्वज फहर रहा था और उस समय अंधेरा था। इस प्रकार तिरंगे को रात होने से पहले न उतार कर उसका अपमान किया गया। रिपोर्ट में इसे प्रिवेंशन ऑफ इंस्ल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 तथा ध्वज संहिता 2002 का अपमान अथवा उल्लंघन बताया गया था।

पुलिस थाना तमनार, जिला रायगढ़ ने नवीन जिंदल की जिंदल पावर लिमिटेड प्रबंधन, तमनार के विरुद्ध उसी दिन (18 अक्तूबर, 2006) प्रिवेंशन ऑफ इंस्ल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा-2 का उल्लंघन समझते हुए अपराध दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करने पर यह पाया कि तिरंगे के अपमान का आरोप सही साबित नहीं होता है और तिरंगे के प्रति यह किसी भी प्रकार का अपराध नहीं बनता है।

इसी दौरान तथाकथित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) जनचेतना मंच के प्रतिनिधि राजेश त्रिपाठी ने 5 जनवरी को एक परिवाद पत्र सीजेएम अदालत, रायपुर में पेश दाखिल करते हुए नवीन जिंदल के जेपीएल प्रबंधन तथा उसके एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (तात्कालिन) डीपी सरावगी के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ इंस्ल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट-1971 की धारा-2 तथा सहपठित धारा 153 (क), 294 (क) ए 268 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध दर्ज किए जाने की मांग की थी। अदालत ने जन चेतना मंच के परिवाद पत्र को स्वीकार करते हुए पुलिस डायरी मंगाई। पुलिस द्वारा कोर्ट के समक्ष प्रतिवेदन के माध्यम से बताया गया कि नवीन जिंदल की जेपीएल कंपनी में सूर्यास्त हो जाने के बाद भी अंधेरे में राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था। मौका पंचनामा कार्यवाही उपरांत प्रिवेंशन ऑफ इंस्ल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2 के

अंतर्गत अपराध दर्ज कराकर विवेचना की गई थी। जिस पर पुलिस ने जानकारी दी कि उसने अपराध क्रमांक 152/2006 में क्लोजर रिपोर्ट 1/2007 दिनांक 26 जून 2007 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी घरघोड़ा को प्रस्तुत कर दिया है।

इसी संबंध में 4 मार्च 2008 को माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रायगढ़ ने अपने एक विस्तृत आदेश में यह कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके अंतर्गत निजी संस्थान को सूर्यास्त के बाद रात को झंडा लहराने की अनुमति हो, इसलिए रात को झंडा न उतारना कानून का उल्लंघन है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी सक्षम पुलिस अधिकारी से मामले की जांच करने का आदेश दिया।

नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल पावर लिमिटेड ने इस आदेश के विरुद्ध भारत के संविधान आर्टिकल 226 के अंतर्गत एक याचिका बिलासपुर उच्च न्यायालय के समक्ष 1 जुलाई, 2008 को प्रस्तुत की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च्व न्यायालय, बिलासपुर ने 3 जुलाई, 2008 को निचली अदालत में चल रहे प्रकरण पर रोक लगा दी थी।

गौरतलब है कि विगत में श्री नवीन जिंदल सांसद ने आम नागरिकों को अपने घरों, प्रतिष्ठानों और फैक्टरियों आदि पर साल के सभी दिन तिरंगा फहराने के मौलिक अधिकार के लिए लगभग एक दशक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और उनके इस लंबे कानूनी संघर्ष के बाद माननीय सर्वोच्च्व न्यायालय ने 23 जनवरी 2004 को अपने ऐतिहासिक फैसले में देश के प्रत्येक नागरिक को हर रोज आदर, प्रतिष्ठा एवं सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौलिक अधिकार दिया। परिणास्वरूप केंद्रीय मंत्री मंडल ने ध्वज संहिता में सर्वोच्च्व न्यायालय के आदेश के अनुरू प संशोधन किया। ज्ञातव्य है कि इससे पहले तिरंगा फहराने का अधिकार केवल मात्र सरकार के प्रतिनिधियों, कुछ ही प्रशासनिक अधिकारियों एवं आम आदमी को तो साल के गिने-चुने विशेष दिनों जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ही तिरंगा फहराने का अधिकार था।

22 दिसंबर 2009 को गृहमंत्रालय भारत सरकार ने श्री नवीन जिंदल द्वारा स्थापित 100 फुट या उससे ऊंचे ध्वजदंडों पर रात्री में भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति दी। बशर्ते ध्वजदंड लाइट द्वारा प्रकाशित हो।

सांसद नवीन जिंदल के प्रयासों से तिरंगे के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया जब 18 फरवरी 2010 को संसद नियम समिति ने संसद के रूल प्रोसिजर एंड बिजनेस कंडक्ट के नियम 349 (XIV) को संशोधित करके लोकसभा सत्र के दौरान सदन में सभी माननीय सांसदों को तिरंगे को लैपल पिन के रूप में सीने पर लगाने की अनुमति प्रदान की। गौरतलब है कि इससे पहले सांसदों को सदन में किसी भी प्रकार का बैज या लैपल पिन लगाने की अनुमति नहीं थी।

और अब 9 अगस्त 2010 को माननीय न्यायालय बिलासपुर ने नवीन जिंदल की जिंदल पॉवर लि. (जे.पी.एल.) के पक्ष में फैसला देते हुए आम आदमी के लिए रात को भी तिरंगा फहराने का रास्ता खोल दिया है और स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीयों को एक नई सौगात दी है।